

**तीस्ता (चरण-VI) पावर स्टेशन (500 मेगावाट)
पर्यावरण संबंधी पहलुओं के संबंध में छमाही प्रगति रिपोर्ट**

सितंबर 2022 के समाप्त अवधि के लिए प्रगति रिपोर्ट

1	परियोजना का नाम	तीस्ता (चरण-VI) पावर स्टेशन (500 मेगावाट)																	
2	परियोजना की किस्म	जल-विद्युत् परियोजना (रन आफ दि रिवर स्कीम)																	
3	स्वीकृति पत्र - कार्यालय ज्ञापन संख्या और तारीख क) पर्यावरण संबंधी स्वीकृति ख) वन संबंधी स्वीकृति	<p>क) सं. जे-12011/55/2006-आईए-आई, दिनांक 21.09.2006 एवं सं. जे-12011/55/2006-आईए-आई(आर) दिनांक 14.08.2020।</p> <p>ख)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">पत्र संख्या न °</th> <th style="text-align: center;">दिनांक</th> <th style="text-align: center;">वन क्षेत्र (ha)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">एफ. एन.8-140/2006-एफसी</td> <td style="text-align: center;">23.05.2008 & 12.03.2021</td> <td style="text-align: center;">89.4266</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">न.5-WBB009/2007-बीएचयू, पश्चिम बंगाल</td> <td style="text-align: center;">11.09.2007</td> <td style="text-align: center;">0.6935</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">न.3-एसकेबी 062/2008-एसएचआई/2274-75,सिक्किम</td> <td style="text-align: center;">27.10.2008</td> <td style="text-align: center;">0.096</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">कुल वन क्षेत्र (in ha)</td> <td></td> <td style="text-align: center;">90.2161</td> </tr> </tbody> </table>			पत्र संख्या न °	दिनांक	वन क्षेत्र (ha)	एफ. एन.8-140/2006-एफसी	23.05.2008 & 12.03.2021	89.4266	न.5-WBB009/2007-बीएचयू, पश्चिम बंगाल	11.09.2007	0.6935	न.3-एसकेबी 062/2008-एसएचआई/2274-75,सिक्किम	27.10.2008	0.096	कुल वन क्षेत्र (in ha)		90.2161
पत्र संख्या न °	दिनांक	वन क्षेत्र (ha)																	
एफ. एन.8-140/2006-एफसी	23.05.2008 & 12.03.2021	89.4266																	
न.5-WBB009/2007-बीएचयू, पश्चिम बंगाल	11.09.2007	0.6935																	
न.3-एसकेबी 062/2008-एसएचआई/2274-75,सिक्किम	27.10.2008	0.096																	
कुल वन क्षेत्र (in ha)		90.2161																	
4	स्थान क) जिला (जिले) ख) राज्य ग) अक्षांश घ) देशांतर	<p>गंगटोक और नामची सिक्किम</p> <p>27°14'29.98"N (बैराज); 27°10'42" N (पावर हाउस)</p> <p>88°28'35.39" E (बैराज); 88°30'40" E (पावर हाउस)</p>																	
5	पत्र-व्यवहार का पता : क) संबंधित परियोजना प्रमुख का पता (पिन कोड और टेलीफोन/ फैक्स नम्बर सहित) ख) निगम मुख्यालय में संबंधित विभागाध्यक्ष का पता (पिन कोड और टेलीफोन/फैक्स नम्बर सहित)	<p>मुख्य कार्यकारी अधिकारी, लैनकों तीस्ता हाइड्रो पावर लिमिटेड, तीस्ता-VI एचई परियोजना, बालुतार, पीसिंगतम .ओ., पूर्वी सिक्किम - 737134। फोन: 03592 - 247221 (O)</p> <p>कार्यपालक निदेशक (पर्यावरण एवं विविधता प्रबंधन), एन.एच.पी.सी. लिमिटेड, एन.एच.पी.सी. कार्यालय परिसर, सेक्टर 33, फरीदाबाद (हरियाणा)-121003 फोन: 0129-2278014 इ-मेल आईडी : envdivmgn-co@nhpc.nic.in</p>																	
6	पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं का विवरण	अनुलग्नक-I के अनुसार।																	
7	परियोजना क्षेत्र का विवरण (भूमि का विवरण) क) जलमग्न क्षेत्र: (वन क्षेत्र और गैर-वन क्षेत्र)	<p>वन भूमि : 36 ha</p> <p>गैर वन भूमि (निजी) : 0.448 ha</p> <p>कुल : 36.448 ha</p>																	

	<p>ख) अन्य</p>	<ol style="list-style-type: none"> 54.2161 हेक्टेयर वन भूमि (भूमिगत 21.9971 हेक्टेयर वन भूमि सहित)। सिक्किम पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (एसपीडीसी) द्वारा अधिग्रहित निजी भूमि (लगभग 34 हेक्टेयर) और आगे एलटीएचपीएल को 35 साल की लीज अवधि के लिए वाणिज्यिक संचालन तिथि से स्थायी कार्यों, मक डंपिंग, सड़क, निर्माण सुविधा, और एलटीएचपीएल द्वारा सीधे 4/4.5/5/6/7 वर्ष की अवधि के साथ अल्पकालिक पट्टे पर ली गई निजी भूमि (लगभग 10.7657 हेक्टेयर)। 														
<p>8</p>	<p>जिन लोगों ने केवल घर/निवास खोए हैं, केवल कृषि भूमि खोई है, निवास और कृषि भूमि, दोनों खोए हैं तथा भूमिहीन मजदूरों/दस्तकारों की गणना सहित परियोजना से प्रभावित आबादी का विवरण: क) अनु.जा./अनु.ज.ज./आदिवासी ख) अन्य</p>	<p>तीस्ता-VI एचईपी कम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र में स्थित है। भूमि के कुछ हिस्से के अधिग्रहण से की आबादी 500 से 400 परिवारों की लगभग 111 प्रभावित हुई है। परियोजना की ईआईए रिपोर्ट अनुसार, पीएएफ जाति विवरण निम्नानुसार है:</p> <table border="1" data-bbox="715 734 1385 1059"> <thead> <tr> <th>जाति श्रेणी</th> <th>संख्या</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(a) अनुसूचित जनजाति (एसटी)</td> <td>41</td> </tr> <tr> <td>(b) अनुसूचित जाति (एससी)</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>(c) अधिकांश पिछड़ा वर्ग (एमबीसी)</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>(d) अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी)</td> <td>55</td> </tr> <tr> <td>(e) अन्य</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>111</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> उनकी निजी जमीन का एक हिस्सा ही अधिग्रहण के दायरे में आया है, कोई भी परिवार भूमिहीन नहीं हुआ है। भूमि अधिग्रहण में कोई आवास शामिल नहीं है इसलिए कोई पुनर्वास और पुनर्वास योजना प्रस्तावित नहीं की गई है। साइट पर या उस क्षेत्र के भीतर कोई पुरातात्विक, सांस्कृतिक या ऐतिहासिक संसाधन नहीं हैं जो निर्माण से प्रतिकूल रूप से प्रभावित होंगे। 	जाति श्रेणी	संख्या	(a) अनुसूचित जनजाति (एसटी)	41	(b) अनुसूचित जाति (एससी)	6	(c) अधिकांश पिछड़ा वर्ग (एमबीसी)	8	(d) अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी)	55	(e) अन्य	1	Total	111
जाति श्रेणी	संख्या															
(a) अनुसूचित जनजाति (एसटी)	41															
(b) अनुसूचित जाति (एससी)	6															
(c) अधिकांश पिछड़ा वर्ग (एमबीसी)	8															
(d) अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी)	55															
(e) अन्य	1															
Total	111															
<p>9</p>	<p>वित्तीय ब्यौरा क) परियोजना की लागत, जैसाकि आरम्भ में आयोजना की गई थी, और बाद के संशोधित अनुमान तथा मूल्य संदर्भ का वर्ष: ख) परियोजना पर अब तक हुआ वास्तविक खर्च: ग) पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं के लिए किया गया आवंटन: घ) पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं पर अब तक हुआ वास्तविक खर्च:</p>	<p>₹ 5,748.04 करोड़ जुलाई 2018 पीएल, जिसमें ₹ 977.09 करोड़ की आईडीसी और एफसी और ₹ 907 करोड़ राशि (निवेश अनुमोदन के अनुसार) शामिल है।</p> <p>₹1878.45 करोड़ (30.09.2022 तक) यह राशि एलटीएचपीएल (एनएचपीसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी) द्वारा अधिग्रहण की तारीख यानी 09.10.2019 के बाद किए गए व्यय से संबंधित है।</p> <p>₹ 3547.44 लाख (ईएमपी और उसके बाद के संशोधन के अनुसार)</p> <p>₹ 3079.23 लाख (ब्रेक-अप के लिए अनुलग्नक-1)</p>														

<p>10</p>	<p>वन भूमि की आवश्यकताएं : क) वन भूमि को गैर-वन भूमि के रूप में उपयोग के लिए अपवर्तन के अनुमोदन की स्थिति ख) वन भूमि में पेड़ों की कटाई के संबंध में स्थिति</p>	<ul style="list-style-type: none"> दिनांक 23.05.2008 को 89.4266 हेक्टेयर वन भूमि (67.4295 हेक्टेयर सतही भूमि और 21.9971 हेक्टेयर भूमिगत भूमि) एमओईएफ द्वारा वन स्वीकृति प्रदान किया। एनएचपीसी लिमिटेड द्वारा दिनांक 09.10.2019 से एलटीएचपीएल के अधिग्रहण के बाद, एफ.सं. 8-140/2006-एफसी दिनांक 12.03.2021 के तहत एलटीएचपीएल (एनएचपीसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी) के पक्ष में वन मंजूरी स्थानांतरित कर दी गई है। एमओईएफ, पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर ने पत्र दिनांक 11.09.2007 द्वारा तारखोला में लिंक रोड और पुल के लिए 0.6935 हेक्टेयर वन भूमि के डायवर्जन को मंजूरी दी। एलटीएचपीएल (एनएचपीसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी) के पक्ष में 0.6935 हेक्टेयर वन भूमि के लिए वन मंजूरी का हस्तांतरण एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, एमओईएफ और सीसी, कोलकाता के विचाराधीन है। एमओईएफ, आरओ, शिलांग ने पत्र दिनांक 27.10.2008 द्वारा तीस्ता-VI कॉलोनी और अन्य स्थानों पर जलापूर्ति पाइप लाइन बिछाने के लिए 0.096 हेक्टेयर को वन मंजूरी दी गई है। एलटीएचपीएल (एनएचपीसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी) के पक्ष में 0.096 हेक्टेयर वन भूमि के लिए वन मंजूरी का हस्तांतरण एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, एमओईएफ और सीसी, कोलकाता के विचाराधीन है।
<p>11</p>	<p>निर्माण की स्थिति : क) आरम्भ करने की तारीख (वास्तविक और / अथवा आयोजना की गई) ख) पूरा होने की तारीख (वास्तविक और / अथवा आयोजना की गई)</p>	<p>लैंको एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मार्च 2007 और पुनः आरंभ करने की तिथि : 08.03.2019 है। लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर लिमिटेड (एनएचपीसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी) द्वारा यानी भारत सरकार द्वारा निवेश अनुमोदन की तिथि। नियोजित: मार्च 2024 (यानी निवेश स्वीकृति से 60 महीने)</p>
<p>12</p>	<p>विलम्ब के कारण, यदि परियोजना अभी आरम्भ की जानी है:</p>	<ul style="list-style-type: none"> परियोजना मार्च 2007 में एलटीएचपीएल द्वारा शुरू की गई थी। हालांकि, परियोजना का निर्माण 2012 से अटका हुआ है। हालांकि माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, समाधान योजना के अनुमोदन के बाद एलटीएचपीएल का अधिग्रहण एनएचपीसी लिमिटेड द्वारा दिनांक 09.10.2019 को कर लिया गया है। परियोजना का लंबित निर्माण कार्य लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर लिमिटेड (एनएचपीसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी) द्वारा किया जा रहा है।
<p>13</p>	<p>स्थल के दौरों का ब्यौरा : क) मानीटरिंग समिति द्वारा ख) क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा</p>	<ul style="list-style-type: none"> दिनांक 03.09.2009 के पत्र द्वारा अतिरिक्त निदेशक (आईए), एमओईएफ, नई दिल्ली द्वारा गठित एक निगरानी समिति। एलटीएचपीएल द्वारा कुछ बैठकें आयोजित की गई थीं। हालांकि, परियोजना के अटकने के कारण, आगे की बैठकें आयोजित नहीं की जा सकीं। MoEF&CC, नई दिल्ली द्वारा एक नई निगरानी समिति का गठन किया जा रहा है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र सं. एफ.सं. जे-12011/35/2006आईए.1(आर) पीटी1 दिनांक 25.05.2022 के अनुसार निगरानी समिति पुनः गठित की गयी।

14	पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुपालन की स्थिति के संबंध में संक्षिप्त नोट :	अनुलग्नक- II के रूप में संलग्न।
-----------	---	--

अनुलग्नक-1

तीस्ता-VI पावर स्टेशन के लिए पर्यावरण प्रबंधन योजना का विवरण

क्रम सं.	पर्यावरण प्रबंधन योजना का नाम	ईएमपी की लागत #	व्यय किए गए	खर्च
		(₹ lakhs)	(₹ lakhs)	(₹ lakhs)
1	सार्वजनिक स्वास्थ्य और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना	179	0	0
2	जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजना (संशोधित)	2410.18*	2410.18	1091.27
3	प्रतिपूरक वनरोपण योजना	114.65	114.65	114.65
4	जैव विविधता संरक्षण (मछली प्रबंधन योजना सहित)	119.12*	119.12	95.34
5	मछली प्रबंधन योजना	170*	170	0
6	मृदा संरक्षण और वन संरक्षण योजना	183.53*	183.53*	0
7	मुफ्त ईंधन प्रावधान	98.85	0	0
8	स्पोइल टिप्स बहाली योजना	81.61	0	0
9	खदान स्थलों के लिए बहाली योजना	35.97	0	0
10	लैंडस्केप योजना	48.91	0	0
11	परियोजना क्षेत्र के चारों ओर हरित पट्टी	13.58	0	0
12	पर्यावरण निगरानी कार्यक्रम	13.25	2.96	2.96
13	फसल मुआवजा	78.79	78.79	78.79
कुल		3547.44	3079.23	1383.01
ईएमपी लागत में ₹ 568 लाख का एनपीवी और पट्टे पर ली गई भूमि की लागत शामिल नहीं है।				

- # पर्यावरण प्रबंधन योजना रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित और राज्य सरकार द्वारा बाद में संशोधन।
- * एलटीएचपीएल द्वारा धनराशि क्रमशः सिक्किम कैम्पा, वन एवं पर्यावरण विभाग, भारत सरकार एवं मत्स्य पालन निदेशालय, सिक्किम सरकार के पास जमा कर दी गई है।

पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुपालन की स्थिति के संबंध में संक्षिप्त नोट

क्रम	भाग क: विशिष्ट शर्तें	अनुपालन:
i)	ईएमपी में प्रस्तावित जैव विविधता संरक्षण योजना को चिह्नित स्थानों पर पूर्ण रूप से कार्यान्वित किया जाना चाहिए।	<ul style="list-style-type: none"> ईएमपी के अनुसार, जैव विविधता संरक्षण योजना की आवंटित राशि अर्थात ₹ 169.12 लाख जिसमें मछली प्रबंधन के लिए ₹ 50 लाख शामिल हैं, नोडल एजेंसी, वन और पर्यावरण विभाग, सिक्किम सरकार के पास दिनांक 14.11.2009 को जमा किए गए। दिनांक 14.11.2009 को रु 183.53 लाख की राशि को मृदा संरक्षण एवं वन संरक्षण योजना के लिए जमा किए गए। राज्य वन विभाग पत्र संख्या A-7/FCA/F&ED/1265 दिनांक 22.03.2021 द्वारा जैव विविधता संरक्षण योजना के तहत विभिन्न प्रबंधन योजनाओं के लिए ₹119.12 लाख में से ₹ 95.34 लाख का उपयोगिता प्रमाण पत्र 31.03.2020 तक प्रेषित किया है। घुसपैठियों की जांच करने के लिए वन विभाग द्वारा पम्फोक गांव में एक चेक पोस्ट स्थापित किया गया है। आसपास के क्षेत्र को नुकसान से बचाने के लिए डायवर्टेड वन भूमि का सीमांकन और बाड़ लगाना इस उद्देश्य के लिए डायवर्ट नहीं किया गया था। हालांकि, राज्य वन विभाग द्वारा मृदा संरक्षण और वन संरक्षण योजना को अभी तक एपीओ में शामिल नहीं किया गया है।
ii)	प्रवासी मछलियों के प्रसार के लिए प्रस्तावित पत्र दिनांक के अनुसार एक 2006 अगस्त 18 हैचरी विकसित की जाएगी।/मत्स्य फार्म चूँकि कैद में महसीर मछली का प्रजनन कठिन होता है, इसलिए हैचरी में महसीर के प्रजनन के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया इस पत्र के जारी होने की तिथि छह महीने के भीतर प्रस्तुत की जानी चाहिए। ।	<ul style="list-style-type: none"> प्रवासी मछली प्रजातियों के प्रसार के लिए मछली फार्म/हैचरी के लिए परामर्श कार्य 'शीतजल मत्स्य अनुसंधान निदेशालय' (डीसीएफआर, भीमताल (पूर्व में शीत जल मत्स्य पालन पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र (एनआरसीसीडब्ल्यूएफ)) को दिया गया था। डीसीएफआर, भीमताल के वैज्ञानिकों ने क्षेत्र का दौरा किया और मछली फार्म के विकास के लिए साइट की पहचान की। जैव विविधता प्रबंधन योजना के तहत मछली प्रबंधन के लिए राज्य वन विभाग को रु. 50 लाख की धनराशि प्रदान की गयी। परियोजना ने पत्र दिनांक 11.01.2020 के माध्यम से राज्य वन विभाग से मछली प्रबंधन योजना की स्थिति प्रस्तुत करने का अनुरोध किया। निदेशक (मत्स्य), सिक्किम सरकार ने दिनांक 10.08.2021 के पत्र द्वारा मत्स्य फार्म व हैचरी और नदी में मछलियों की रैंजिंग हेतु कार्यान्वयन प्रस्ताव नए सिरे से प्रस्तुत किया, जिसमें सिक्किम सरकार की नवीनतम अनुसूची दरों के अनुसार संशोधित बजट अनुमान लगभग रु. 170 लाख और लगभग 120 लाख रुपये के अतिरिक्त फंड के लिए एक डिमांड नोट उठाया। मछली फार्म-सह-हैचरी इकाई की स्थापना के लिए भूमि की उपयुक्तता का पता लगाने के लिए, LTHPL और मत्स्य विभाग, सिक्किम सरकार के अधिकारियों का एक संयुक्त निरीक्षण दिनांक 08.12.2021 को किया गया था। एक विकल्प चित्ते, बोरोंग-फमटम जीपीयू रावंगला के पास, जिला नामची में मछली फार्म-सह-हैचरी इकाई की स्थापना के लिए राज्य मत्स्य विभाग द्वारा प्रस्तावित किया गया है क्योंकि इस साइट पर उपलब्ध भूमि (0.1460 हेक्टेयर क्षेत्र) राज्य मत्स्य विभाग की है।

		<ul style="list-style-type: none"> • दिनांक 14.12.2021 के पत्र द्वारा परियोजना ने राज्य मत्स्य विभाग से संशोधित मांग नोट और शासनादेश प्रपत्र के साथ संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अनुरोध किया। • अपर निदेशक (मत्स्य) ने दिनांक 20.12.2021 के पत्र के तहत संशोधित बजट अनुमान के साथ चित्ले गांव, नामची जिले में मछली फार्म-सह-हैचरी इकाई की स्थापना के लिए कुल 1,69,99,987/- रुपये का संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया व 1,19,99,987/- रुपये के अतिरिक्त फंड के लिए डिमांड नोट उठाया। • कुल राशि 170 लाख में से शेष राशि रु. 120 लाख रुपये को मत्स्य निदेशालय, सिक्किम सरकार के खाते में 30.03.2022 को जमा कर दिया गया। • राज्य के मत्स्य विभाग ने मछली फार्म-सह-हैचरी इकाई के निर्माण के लिए काम देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
iii)	<p>जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजना जैसा कि प्रस्तावित किया गया है, चार वर्षों में पूरा किया जाना चाहिए। योजना अनुबंध-III के रूप में संलग्न है:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजना के लिए ₹981.73 लाख की राशि एलटीएचपीएल द्वारा सिक्किम कैम्पा में जमा की गई थी। • राज्य वन विभाग ने वेतन दरों में वृद्धि के कारण कैट योजना की लागत को संशोधित किया और पत्र संख्या 389/जीओएस/एफईडब्ल्यूएमडी दिनांक 02.06.2012 के माध्यम से ₹1831.95 लाख की संशोधित लागत प्रस्तुत की। इस प्रकार, सिक्किम कैम्पा में कैट योजना लागत में ₹ 850.22 लाख के अंतर का भुगतान करना आवश्यक था। पीसीसीएफ-सह-सचिव, विभाग के पक्ष में डीडी नंबर 013248 दिनांक 08.08.2012 के माध्यम से एलटीएचपीएल भुगतान द्वारा ₹ 141.00 लाख की पहली किस्त का भुगतान पत्र संख्या LTHPPL/TS-VI/1006/69 दिनांक 11.08.2012 के माध्यम से किया गया था। पूर्व एलटीएचपीएल द्वारा परियोजना कार्य रुकने के कारण ₹ 709.22 लाख का शेष भुगतान जमा नहीं किया गया था। • राज्य वन विभाग ने पत्र संख्या ए-7/एफसीए/एफ एंड ईडी/1265 दिनांक 22.03.2021 के माध्यम से एलटीएचपीएल द्वारा जमा किए गए ₹ 1122.73 लाख में से विभिन्न प्रबंधन कैट योजनाओं के लिए ₹ 1091.27 लाख के उपयोग का उपयोग प्रमाण पत्र दिनांक 31.03.2020 तक प्रेषित किया। • परियोजना ने पत्रों दिनांक 09.04.2020 और 11.06.2021 के माध्यम से राज्य वन विभाग से ₹ 709.22 लाख के शेष भुगतान के लिए मांग पत्र प्रस्तुत करने का अनुरोध किया था। • एपीसीसीएफ-सह-नोडल अधिकारी (एफसीए), वन एवं पर्यावरण विभाग, सिक्किम सरकार ने संशोधित कैट प्लॉट की शेष लागत के रूप में सिक्किम कैम्पा में जमा करने के लिए पत्र दिनांक 11.03.2022 द्वारा ₹ 12,87,44,747/- की मांग उठाई। • लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर लिमिटेड (एनएचपीसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी) द्वारा 26.04.2022 को यूटीआर संख्या एसबीआईएन522116286859 के माध्यम से एनईएफटी के माध्यम से राज्य कैम्पा में ₹ 12,87,44,747/- की शेष संशोधित राशि जमा की गई है। • तीस्ता-VI की कैट योजना के लिए कुल 2410.18 लाख रुपये जमा किए गए जिनमें से 1091.27 लाख रुपये का उपयोग सिक्किम सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

iv)	भूस्खलन संभावित क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए, निकट पर्यवेक्षण में बड़ी सावधानी के साथ टनलिंग की जानी चाहिए।	भू स्खलन-संभावित क्षेत्र के लिए समुचित नियंत्रित ब्लास्टिंग या यांत्रिक साधनों द्वारा तथा पर्याप्त समर्थन प्रणाली प्रदान करके सुरंग खोदी जा रही है।
v)	एक निगरानी समिति का गठन किया जाना चाहिए जिसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित / जनजाति वर्ग के परियोजना प्रभावित व्यक्तियों और एक महिला लाभार्थी के प्रतिनिधि शामिल हों।	<ul style="list-style-type: none"> अतिरिक्त निदेशक (आईए), एमओईएफ&सीसी, नई दिल्ली द्वारा पत्र दिनांक 03.09.2009 द्वारा बहु-विषयक निगरानी समिति गठित की गई थीं। परियोजना कारी रुकने के कारण आगे निगरानी समिति की बैठकें आयोजित नहीं की जा सकीं। परियोजना पत्र दिनांक 11.01.2020, 11.04.2020 और 10.12.2020 के माध्यम से निगरानी समिति के पुनर्गठन के लिए राज्य वन विभाग से अनुरोध किया था। MoEF&CC ने पत्र दिनांक 25.05.2022 के द्वारा बहु-विषयक निगरानी समिति का पुनर्गठन किया है। पत्र दिनांक 28.09.2022 के माध्यम से परियोजना ने सीसीएफ (मुख्यालय), वन एवं पर्यावरण विभाग से तीस्ता-VI जलविद्युत परियोजना के लिए पुनर्गठित बहु-विषयक निगरानी समिति की पहली बैठक के संचालन के लिए आवश्यक कार्रवाई हेतु अनुरोध किया।
vi)	जन सुनवाई में परियोजना प्राधिकरण द्वारा दिए गए सभी आश्वासनों/प्रतिबद्धताओं का / पालन किया जाना चाहिए। :अक्षरश	पालन किया जा रहा है।
vii)	हेक्टेयर वन भूमि अधिग्रहण के लिए 67.43 वन मंजूरी प्राप्त कर प्रस्तुत की जानी चाहिए।	<ul style="list-style-type: none"> एमओईएफ, नई दिल्ली द्वारा पत्र संख्या 8-140/2006-एफसी दिनांक 23.05.2008 द्वारा 89.4266 हेक्टेयर वन भूमि (67.4295 हेक्टेयर सतह भूमि और 21.9971 हेक्टेयर भूमिगत भूमि) के लिए वन मंजूरी (चरण-II) प्रदान किया गया था। 09.10.2019 से लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर लिमिटेड एनएचपीसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बन गई है। साथ में लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर लिमिटेड (एनएचपीसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी) को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा पत्र एफ.सं. 8-140/2006-एफसी दिनांक 12.03.2021 द्वारा स्वीकार किया गया है।
viii)	शुष्क मौसम के दौरान जलीय जीवन के निर्वाह के लिए उपलब्ध पानी का 10% (82.5 क्यूमेक्स) बांध के नीचे की ओर छोड़ा जाना चाहिए।	ई-फ्लो पर माननीय एनजीटी के आदेश दिनांक 07.09.2020 के मद्देनजर, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - सिक्किम ने पत्र दिनांक 01.10.2022 के तहत लीन सीजन (दिसंबर-मार्च) के दौरान 15% न्यूनतम पर्यावरणीय प्रवाह (ई-फ्लो) की मात्रा 16.60 क्यूमेक्स के को अंतिम रूप से स्वीकृति दे दी। बैराज के डिजाइन में उपयुक्त प्रावधान रखा जा रहा है ताकि जलीय जीवन के निर्वाह के लिए परियोजना शुरू होने के बाद 16.60 क्यूमेक्स का न्यूनतम ई-प्रवाह नीचे की ओर छोड़ा जा सके।
ix)	यदि आवश्यक हो तो किसी अन्य संगठन से कोई अन्य मंजूरी प्राप्त की जानी चाहिए।	सभी उचित मंजूरी पत्र आवश्यकता अनुसार प्राप्त किया गया है।
भाग ख. सामान्य शर्तें		
i	निर्माण-कार्य में लगे श्रमिकों को परियोजना लागत पर पर्याप्त निशुल्क ईंधन की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि पेड़ों की अवैध कटाई को रोका जा सके।	वर्तमान में ठेकेदार द्वारा लगे हुए जनशक्ति को मेस की सुविधा प्रदान की जा रही है।
ii	ईंधन (मिट्टी का तेल/लकड़ी) मुहैया करने लिए स्थल पर ईंधन डिपो खोला जाए।	ईंधन (एलपीजी और मिट्टी का तेल) आवश्यकता पड़ने पर स्थानीय बाजार से ठेकेदारों द्वारा खरीदा जा रहा है।

	श्रमिकों को चिकित्सा सुविधाएं और मनोरंजन सुविधाएं भी दी जानी चाहिए।	<ul style="list-style-type: none"> • ठेकेदारों के शिविरों को मनोरंजन सुविधाओं आदि से सुसज्जित किया जा रहा है। • ठेकेदारों द्वारा मजदूरों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।
iii	निर्माण-कार्यों में लगाए जाने वाले सभी श्रमिकों की स्वास्थ्य कार्मिकों द्वारा पूरी तरह से जांच की जानी चाहिए और उन्हें कार्य करने की अनुमति देने से पहले उनका पर्याप्त रूप से उपचार किया जाना चाहिए।	<ul style="list-style-type: none"> • काम में लगाने से पहले मजदूरों की स्वास्थ्य जांच की जाती है। • मजदूरों को चिकित्सा सुविधा प्रदान की जा रही है। • एलटीएचपीएल/ठेकेदारों द्वारा कोविड-19 के लिए मजदूरों का निःशुल्क टीकाकरण किया गया है।
iv	उत्खनित सामग्री के डंपिंग स्थल सहित निर्माण क्षेत्र के फैकने के स्थल को समतल करके, गड्ढों को भरकर, भूनिर्माण आदि द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उपयुक्त वृक्षारोपण के साथ क्षेत्र का उचित उपचार किया जाना चाहिए।	<ul style="list-style-type: none"> • निर्दिष्ट डंप यार्डों में कचरा डंप करने के लिए पर्यावरण के अनुकूल उपाय किए जाते हैं। • डंपिंग क्षेत्रों में आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त रिटेनिंग स्ट्रक्चर जैसे क्रेट वॉल, आरआरएम वॉल आदि उपलब्ध कराए जा रहे हैं। • डंप करने के बाद क्षेत्रों को समतल किया जा रहा है। • कार्य हाल ही में शुरू हुआ है, इसलिए साइट की आवश्यकता के अनुसार नालों और नदी खंडों को पर्याप्त सुरक्षा उपाय जैसे क्रेट दीवार और कंक्रीट प्लग प्रदान किए जा रहे हैं। • कार्यों की प्रगति के साथ वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार सभी एहतियाती उपाय किए जा रहे हैं।
v	उपरोक्त सुझाए गए सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन के लिए परियोजना के कुल बजट में वित्तीय प्रावधान किया जाना चाहिए।	<p>ठेकेदारों को कार्य सौंपे जाने के अनुसरण में, ठेकेदारों द्वारा कुछ कार्य पर निष्पादन के साथ-साथ प्रारंभिक तैयारी शुरू की गई है। संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:</p> <ul style="list-style-type: none"> • सुरक्षा के महत्व के बारे में मजदूरों में जागरूकता फैलाने के लिए पोस्टर और नारों का व्यापक रूप से उपयोग किया जाएगा। • सुरंग बनाने सहित प्रत्येक गतिविधि के लिए मजदूरों और कर्मचारियों को नियमित रूप से सुरक्षा निर्देश दिए जाते हैं। • कर्मचारियों के लिए नियमित सुरक्षा प्रशिक्षण और टूल बॉक्स बैठकें आयोजित की जा रही हैं। • सुधारात्मक और निवारक कार्रवाई (सीएपीए) सुनिश्चित करने के लिए दुर्घटना की जांच और विश्लेषण तुरंत सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है। • कानूनी आवश्यकताओं की स्थिति का आवधिक मूल्यांकन किया जा रहा है। • विभिन्न आपात स्थितियों के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया योजना तैयार की जा रही है। प्रशिक्षण व मॉक ड्रिल कराई जाएगी। • स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण (एचएसई) ऑडिट आवधिक आधार पर किया जाएगा। • सभी महत्वपूर्ण गतिविधियों के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) तैयार की जा रही हैं क्योंकि कार्य निष्पादन के प्रारंभिक चरण में हैं। • सभी गतिविधियों की खतरे की पहचान और जोखिम मूल्यांकन किया जा रहा है और तदनुसार परिचालन नियंत्रण तैयार किया जाएगा। • उचित रोशनी और संवातन प्रणाली स्थापित की जा रही है और सुरंग निर्माण कार्यों के लिए इसे बनाए रखा जाएगा। • राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस (4 मार्च) को सुरक्षा अभ्यास के बारे में जागरूकता बढ़ाने और कार्यकर्ताओं को प्रेरित करने के लिए मनाया जाता है।

		<ul style="list-style-type: none"> • सुरक्षा से संबंधित मुद्दों की प्रभावी निगरानी और कार्यान्वयन के लिए सुरक्षा अधिकारियों को नामित और तैनात किया गया है। • सभी मजदूरों और कर्मचारियों को कार्य की आवश्यकता के अनुसार सुरक्षा किट प्रदान की जाती है।
vi	सुझाए गए सुरक्षा उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी के लिए वानिकी, पारिस्थितिकी, वन्य जीवन, मिट्टी की बातचीत, गैर सरकारी संगठन आदि के विभिन्न विषयों के प्रतिनिधियों के साथ एक बहुविषयक - समिति का गठन किया जाना चाहिए।	<ul style="list-style-type: none"> • अतिरिक्त निदेशक (आईए), एमओईएफ&सीसी, नई दिल्ली द्वारा पत्र दिनांक 03.09.2009 द्वारा बहु-विषयक निगरानी समिति गठित की गई थीं। परियोजना कारी रुकने के कारण आगे निगरानी समिति की बैठकें आयोजित नहीं की जा सकीं। • परियोजना पत्र दिनांक 11.01.2020, 11.04.2020 और 10.12.2020 के माध्यम से निगरानी समिति के पुनर्गठन के लिए राज्य वन विभाग से अनुरोध किया था। • MoEF&CC ने पत्र दिनांक 25.05.2022 के द्वारा बहु-विषयक निगरानी समिति का पुनर्गठन किया है। • पत्र दिनांक 28.09.2022 के माध्यम से परियोजना ने सीसीएफ (मुख्यालय), वन एवं पर्यावरण विभाग से तीस्ता-VI जलविद्युत परियोजना के लिए पुनर्गठित बहु-विषयक निगरानी समिति की पहली बैठक के संचालन के लिए आवश्यक कार्रवाई हेतु अनुरोध किया।
vii	मंत्रालय और इसके क्षेत्रीय कार्यालय को समीक्षा करने के लिए छमाही मानीटरिंग रिपोर्टें प्रस्तुत की जानी चाहिए।	छह मासिक निगरानी रिपोर्ट-नियमित रूप से MoEF&CC, के एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता को प्रस्तुत किया जाता है। पिछली छह-मासिक निगरानी रिपोर्ट पत्रदिनांक द्वारा 27.05.2022 एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय को प्रगति रिपोर्ट प्रेषित की गयी थी।
viii	क्षेत्रीय कार्यालय एमओईएफ, शिलांगकोलकाता के अधिकारी जो / पर्यावरण सुरक्षा के कार्यान्वयन की निगरानी करेंगे, उन्हें परियोजना समर्थकों द्वारा उनके निरीक्षण के दौरान पूरी सुविधाएं और दस्तावेज आंकड़े दिए जाने चाहिए।	इस शर्त का अनुपालन पूर्ववर्ती एलटीएचपीएल एलईपीएल/द्वारा किया गया था। अब इस शर्त का अनुपालन एलटीएचपीएल एनएचपीसी (लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनीद्वारा भी किया जाएगा।
ix	पर्यावरण सुरक्षा के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी पूरी तरह से मैसर्स लैंको एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड हाइड्रो पावर लिमिटेड लैंको तीस्ता/ और सिक्किम सरकार की है।	नोट किया गया। एलटीएचपीएल एनएचपीसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी पर्यावरण सुरक्षा के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी वहन करेगी।

अनुलग्नक-III

पुनःप्रस्तावित जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजना को चार साल में पूरा किया जाना है। योजना नीचे प्रस्तुत की गई है:

पंचवर्षीय जलग्रहण क्षेत्र उपचार कार्य योजना तीस्ता चरण-VI जलविद्युत परियोजना								
स.न.	कार्य वस्तुएँ	यूनिट	1 st वर्ष	2 nd वर्ष	3 rd वर्ष	4 th वर्ष	5 th वर्ष	कुल
I	वन भूमि							
अ	जैविक उपाय							
1	सहायता प्राप्त प्राकृतिक पुनर्जनन	हेक्टेयर	20	30	30			80
2	सहायक प्राकृतिक पुनर्जनन	हेक्टेयर	150	350	350	350		1200
3	औषधीय वृक्षारोपण	हेक्टेयर	50	50				100
4	औषधीय वृक्षारोपण	हेक्टेयर	50	50				100
5	भू-स्खलन क्षेत्रों में बुवाई और टपकाना	हा				10	10	20
6	कृत्रिम पुनर्जनन	हा		300	400	400	400	1500
7	सिल्वीकल्चर विकास	हा		30	30	40		100
8	बांस (पारंग वृक्षारोपण)	हा		30	30	40		100
9	कांटेदार तार की बाड़	किमी	5	5				10
10	सहायता प्राप्त प्राकृतिक पुनर्जनन और अन्य वृक्षारोपण का रखरखाव	हा	270	810	810	800	410	3100
11	पंक्तियों में जेट्रोफा के साथ वनस्पति बाड़	किमी	15	10				25
ख	इंजीनियरिंग वर्क्स							
1	सॉसेज वॉल ड्रॉप्स के साथ झोरा ट्रेनिंग	मिटर ³	1000	700	300			2000
2	डाई स्टोन वॉल	मिटर ³	1200	600	200			2000
3	कैच वाटर ड्रेन्स	मिटर	1400	400	200			2000
4	बाली फेंसिंग	हा	40	10				50
II	कृषि भूमि							
अ	जैविक उपाय							
1	चारा विकास	हेक्टेयर			200	400	400	1000
2	कृषि वानिकी (200 पौधे प्रति हेक्टेयर)	हेक्टेयर			200	400	400	1000
3	जेट्रोफा वृक्षारोपण (अकृषि योग्य निचला क्षेत्र)	हेक्टेयर	100					100
ख	इंजीनियरिंग कार्य							
1	सॉसेज वॉल ड्रॉप्स के साथ झोरा ट्रेनिंग	मिटर ³	1400	400	200			2000
2	डाई स्टोन वॉल	मिटर ³	1400	400	200			2000
3	कैच वाटर ड्रेन्स	मिटर	1400	400	200			2000
4	बाली फेंसिंग	हा	40	10				50

--XX--